कार्यालय मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र)
लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक- 24642सी0जेड0/4सी0जेड0(पे0पं0)/2016 दिनांक- 2-11-16

अनापत्ति प्रमाण पत्र

अधीक्षण अभियन्ता उन्नाव वृत्त, लो0नि0वि0, उन्नाव द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर बिलग्राम-ऊँचाहार-इलाहाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0-38) के चैनेज 0.610 से 0.710 गाटा संख्या 229.230 ग्राम चॉदपुर बाहर, नगर पालिका बिलग्राम, तहसील बिलग्राम जनपद हरदोई में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है:-

1- प्रस्तावित आउटलेट बिलग्राम-ऊँचाहार-इलाहाबाद मार्ग (राज्य मार्ग सं0-38) के चैनेज 0.610 से 0.710 पर मार्ग की मध्य रेखा से 22.86 मी0 दूरी से बॉयीं तरफ पक्का निर्माण कराया जायेगा।

2- पेट्रोल/डीजल पम्प का लेबल कम से 15 सेमी0 नीचा तथा सर्विस एरिया का ढ़ाल कम से कम 2 प्रतिशत ढ़ाल ड्रेन की ओर रखा जाए ताकि पानी का बहाव मार्ग पर किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए।

3- पेट्रोल/डीजल पम्प एवं विभागीय भूमि के बीच पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की ग्रेडिंग से ढका जाय, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा ड्रेन में जा सकें।

4- सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन0पी0-3 ह्यूम पाईप/आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।

5- ड्रेनेज हेतु रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) सर्विस एरिया का ढाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।

6- पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 03 मीटर ऊपर रखा जाय। पम्प के साइनेज के अतिरिक्त कोई स्ट्रक्चर अथवा होर्डिंग नहीं खड़ा किया जाय।

7- लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नही होगा।

8- बफर स्ट्रिप कम से कम 13 मीटर लम्बी व 03 मीटर चौड़ी तथा प्रवेश एवं निकासी गेट कम से कम 12 मीटर चौड़े होंगे।

9- बफर स्ट्रिप के बाहरी सिरे से फ्यूल फिलिंग पम्प की दूरी 07 मीटर से कम नहीं होगी।

10- निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।

11- भूमि स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

12- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।

13- आई0आर0सी0 कोड 12, 1983 में दी गई शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

14- जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।

15- भारत सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के परिपत्र सं0-आर0डब्लू0/एन0एच0-33023/19/99-डी0ओ0-III, दि0 24-07-2013 द्वारा जारी निर्देशानुसार आवश्यक धनराशि भारतीय स्टेट बैंक गंज जलालाबाद का डी0डी0 सं0-185650 दि0 29.09.2016 रू0 10,000.00, डी0डी0 सं0-185651 दि0 29.09.2016 रू0 10,000.00 एवं डी0डी0 सं0-835735 दि0 16.07.2016 रू0 2,20,000.00 जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0 हरदोई (मु0-बिलग्राम) के नाम से जमा है।

उपरोक्त अनुमति अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0 हरदोई (मु0-बिलग्राम) का पत्र सं0-1576/सी-1/16, दि0 22-09-2016 एवं अधीक्षण अभियन्ता उन्नाव वृत्त, लो0नि0वि0 उन्नाव के पत्र सं0-3265सी0/26 सी-उ0वृ0/16, दिं0 21-10-2016 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(कोमल प्रसाद)
मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र)
लो0नि0वि0 लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिलाधिकारी, हरदोई।

2- अधीक्षण अभियन्ता उन्नाव वृत्त, लो0नि0वि0 उन्नाव के पत्र सं0-3265सी0/26 सी-उ0वृ0/16, दिं0 21-10-2016 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

3- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0 हरदोई (मु0-बिलग्राम) के पत्र सं0-1576/सी-1/16, दि0 22-09-2016 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

28/10

मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र)
लो0नि0वि0 लखनऊ